सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025/75 दर्ज तिथिः–28.02.2025

1. खेता पुत्र माना
2. चेला पुत्र माना
3. चतरा पुत्र माना
4. बगदा पपुत्र माना
5. मिसरा पुत्र माना
6. बाबू पुत्र रतना
7. जूजा पुत्र रतना
8. माला पुत्र रतना
9. बादराराम पुत्र खूमाराम
10. थानाराम पुत्र खुमाराम
11. सताराम पुत्र खुमाराम
12. जीवाराम पुत्र खुमाराम
13. मेया देवी पत्नी खुमाराम
14. हिमता पुत्र गुमना
15. प्रागा पुत्र गुमना
16. आदा पुत्र गुमना
17. हरजी पुत्र गुमना

जाति कुम्हार निवासी डेडावास का गोलिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

...........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:06 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–28.04.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 94/31.6706 है0 मौजा डेडावास का गोलिया पटवार हल्का रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी खसरा संख्या 94 में से प्रार्थीगण द्वारा रकबा 1.2545 है0 भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रास्ते हेतु समर्पित की। उक्त समर्पित की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर रास्ते हेतु समर्पित भूमि को खसरा संख्या 94/1/1.2545 है0 आवंटित कर दर्ज रिकॉर्ड किया गया।
   - कि उक्त समर्पणशुदा खसरा संख्या 94/1 मौके पर रास्ते हेतु उपयोग में आ रहा है। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा समर्पणशुदा भूमि की तरमीम वर्तमान चलायमान रास्ते से भिन्न राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दी। जिससे मौके पर चलित रास्ते एवं नक्शा लट्ठा ट्रैस में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अंत में प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु समर्पणशुदा खसरा संख्या 94/1 की तरमीम वर्तमान चलित रास्ता अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू–नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/613 दिनांक 17.04.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:06 IST
Reason: SelfAttested

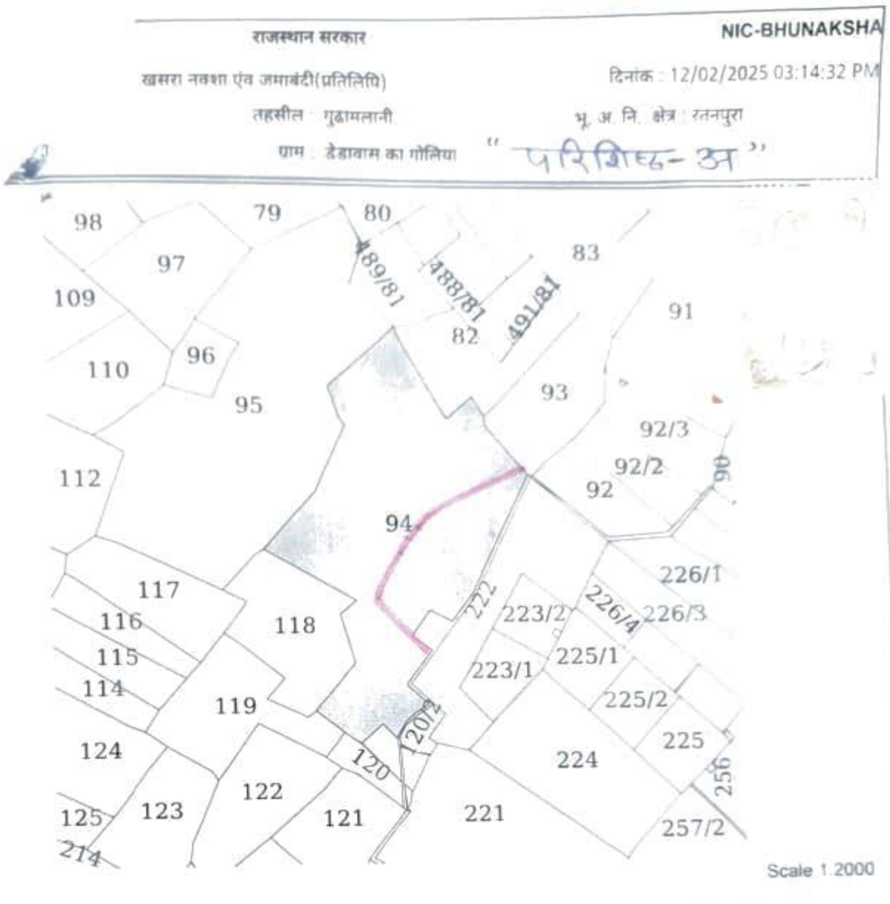

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 613 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू. अ. / 2025 / 613 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:06 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट–अ

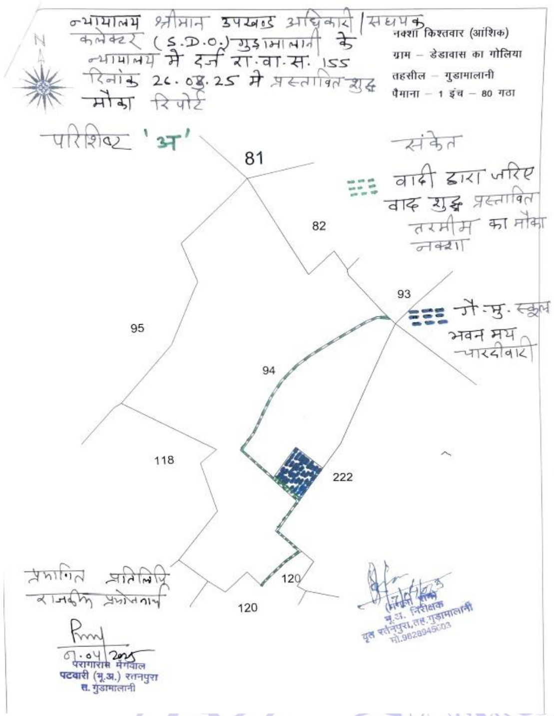

परिशिष्ट–ब

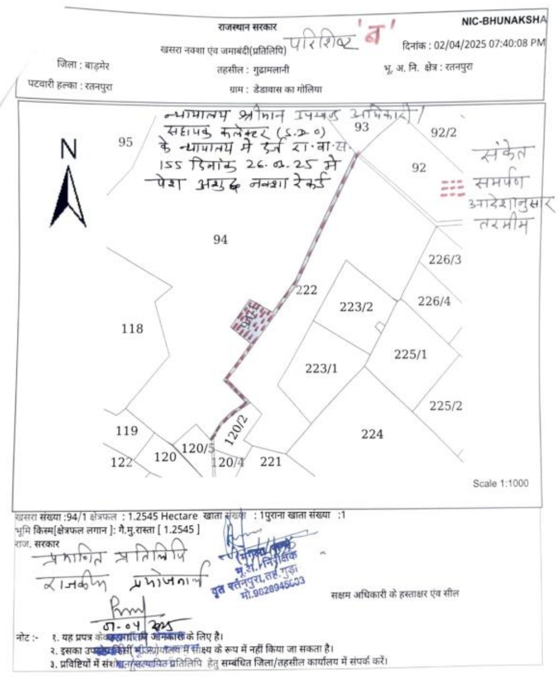

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/613 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–
    1. कि आराजी खसरा संख्या 94/1 किस्म गै0मु0 रास्ता की तरमीम समर्पण आदेश के विपरीत अंकित नहीं की गई है।
    2. कि आराजी खसरा संख्या 94 के मध्य से संलग्न परिशिष्ट–अ बरंग हरा के अनुसार मौके पर रास्ता चालू है।
    3. कि मौके पर रास्ता वर्तमान तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अनुसार चालू नहीं है।
    4. कि समर्पित भूमि आराजी खसरा संख्या 94/1 की तरमीम संलग्न परिशिष्ट–अ के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।
    5. कि उक्त रास्ते हेतु समर्पित आराजी गै0मु0 रास्ता के अलावा गै0मु0 स्कूल की भूमि में से गै0मु0 रास्ता की भूमि की तरमीम की हुई है। अतः गै0मु0 रास्ता व स्कूल की तरमीम संलग्न परिशिष्ट–अ के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।
    6. कि फर्द मौका में दर्शाये बरंग हरा रास्ते की भूमि रकबा 0.4681 है0 व गै0मु0 स्कूज जो फर्द मौका व नक्शा में बरंग आसमानी से दर्शाया गया है। जिसका रकबा 0.7864 है0 भूमि बनता है। इस प्रकार गै0मु0 रास्ता व गै0मु0 स्कूल दोनों का कुल रकबा 1.2545 है0 भूमि बनता है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/613 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/613 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:06 IST
Reason: SelfAttested

से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/613 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2025/613 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:06 IST
Reason: SelfAttested